नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक उपाय।

नदियॉ प्राकृतिक संसाधन के साथ–साथ जीवित इकाईयॉ हैं, इसलिए नदियों को जीवनदायनी मॉ की संज्ञा दी गयी है। नदियॉ आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक विविधताओं के कारण मानव संस्कृतियों की जननी रही हैं इसलिए जीवन में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। नदियों के किनारे ही अनेक मानव सभ्यताओं का जन्म एवं विकास हुआ है।

मानव सभ्यताओं का विकास करते–करते जीवनदायनी नदियॉ अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। जिन नदियों में लगभग 30 वर्ष पहले, वर्ष भर जल की उपलब्धता एवं निरन्तर अविरलता बनी रहती थी, अब उनमें मात्र वर्षाकाल में ही जल उपलब्ध हो पा रहा है। अन्य ऋतुओं में इन नदियों में जो पानी उपलब्ध है वह शहरी नालों का प्रदूषित पानी है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कड़ी में अनियोजित शहरीकरण एवं बसावट करते–करते नदियों के क्षेत्र को भी अतिक्रमित कर दिया गया है। नदियों के अस्तित्व को बचा कर ही मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है, इसके लिए नदियों के निम्नलिखित निहित अधिकारों को पुनः नदियों को देना आवश्यक होगा :–

1. नदियों की जमीन पर नदियों का अधिकार।
2. नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने का अधिकार।
3. नदियों को मानव जनित अपशिष्टों के बिना पूर्णता में बहने का अधिकार।
4. नदियों को अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने का अधिकार।
5. नदियों को अपनी छोटी, सहायक नदियों तथा जल धाराओं के साथ (स्ट्रीम कनेक्टिविटी) जुडे रहने का अधिकार।
6. नदियों के कैचमेन्ट एरिया में वाटर बॉडीस (झील/तालाब/अन्य प्राकृतिक जलस्रोत) को उनके स्वाभाविक स्वरूप में रहने का अधिकार।
7. भू–गर्भ जल को बनाये रखने का अधिकार।
8. नदी व इसके कैचमेन्ट एरिया की जल धाराओं, जलस्रोतों व भूगर्भ जल को नदी का अभिन्न अंग (परिवार) मानने का अधिकार।

नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए नदियों को अधिकार देना इसलिए जरूरी है, कि क्षेत्रीय विकास करते–करते नदियों के फ्लड प्लेन को अतिक्रमित कर दिया गया है जिसका एक जीवन्त उदाहरण जनपद–बाराबंकी में दिनांक 10 एवं 11 सितंबर 2023 को मात्र 48 घंटे में लगभग 400 मिमी0 वर्षा हुई, जो इस क्षेत्र में सितंबर माह की अब तक की अधिकतम वर्षा दर्ज की गयी। परिणामतः बाराबंकी जिले से गुजरने वाली रेठ नदी (लम्बाई 109 किमी0) तथा इसकी सहायक जमुरिया (लम्बाई 22 किमी) के निकटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। जनपद में भारी वर्षा के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में अधिक समय तक जलप्लावन का मुख्य कारण रेठ एवं जमुरिया नदी के बहाव क्षेत्र में दोनों तरफ विगत 10–15 वर्षों में अवैध निर्माण/अन्य गतिविधियॉ द्वारा किया गया अतिक्रमण है।

1. नदियों की जमीन पर नदियों का अधिकार–

नदियॉ अपने फ्लडप्लेन जोन में मेण्डरिंग करती हुए एवं निहित ऊर्जा को क्षय करती हुयी प्रवाहित होती है। शहरीकरण तथा अनियोजित बसावट के कारण अवैध रूप से नदियों के मेण्डरिंग जोन /फ्लड प्लेन जोन में अतिक्रमण होने से रोकने के लिए सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था की है–

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1417बी(1)/09–27–सिं–2, दिनांक– 16 मार्च, 2010 द्वारा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को रोकने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :–

प्रस्तर–1.0 महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्तर–2.0 आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट–1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट–1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर–(1.0) एवं (2.0) से आच्छादित नहीं है, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा–55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय।

सरकार द्वारा नदियों के भूमि के संरक्षण हेतु भारत का राजपत्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2016, धारा 6(3) व्यवस्था के अनुसार **"कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी या उसकी उप नदियों के तट अथवा इनके सक्रिय बाढ़ मैदानों में आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा।"**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0संख्या–200/2014 एम0सी0मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैं– "Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of the judgment we direct that 100

meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

उपरोक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–29भा0स0/76–2–2022/05एन0जी0/2022टी0सी0 दिनांक 05.04.2022 द्वारा "**जिला गंगा समितियों**" के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये हैं–

- समिति के द्वारा जनपद स्तर पर छोटी व सहायक नदियों का चिन्हीकरण, मैपिंग व पुनरोद्धार तथा कायाकल्प की रणनीति तैयार कराना एवं अनुश्रवण करना।
- समिति के द्वारा छोटी व सहायक नदियों की 02 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित शासकीय भूमि/नदी क्षेत्र का चिन्हीकरण कराना तथा अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

इस सम्बन्ध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिनांक 23.11.2022 के पैरा 8 व 9 के अनुसार (एम.ए. संख्या 23/2022 और एम.ए. संख्या 19/2021 मूल आवेदन संख्या 303/2020 एसएन में), "In terms of order of this Tribunal dated 25.07.2022, **illegal construction was to be removed by the Ganga Committee in terms of para 6 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) authorities order, 2016 which has not been done**. Only action taken in under UP Development Act which is different from action directed by the Tribunal." "Thus, for protection of environment and consistent with the earlier orders, we have to reiterate our earlier direction for **demolition of illegal construction as per Ganga order, issued under the Environment (Protection) Act, 1986**..... Similar action may be taken against any other illegal structure in the flood plain areas."

उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 2008 में बाढ़ को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण "गैर–संरचनात्मक उपाय" के रूप में फ्लड ज़ोनिंग हेतु राज्यों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। दिशा–निर्देशों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि "**that areas likely to be affected by floods in a frequency of 10 years should be reserved for green areas like parks, gardens and others while concrete structures should not be allowed there. It also talked about other zones in the floodplain like in areas of flooding in a 25 year frequency and asked states to make plans accordingly in those areas.** "

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियमों और ई0आई0ए0 की अधिसूचना, 2006 और संशोधनों के अनुसार, **Environmental Clearance is required before developing any colony, road, highways, and settlements near the buffer zone of any river, streams or a natural drain**. वर्तमान में कई बस्तियाँ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं अन्य आवश्यक नियमों/शर्तों के अधीन निर्मित नहीं की जा रही हैं।

(कार्यवाही : मण्डलीय गंगा समिति/जिला गंगा समिति/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

2. नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने का अधिकार–

नदियॉ प्रायः मेण्डरिंग करती हुयी आगे बढती हैं। लोग नदी के बहाव को रोक देते हैं परिणाम स्वरूप नदियों का बहाव क्षेत्र एवं एलाइन्मेंट परिवर्तित हो जाता हैं। नदी के डिस्चार्ज की गणना किये बिना ही फ्लडप्लेन जोन में पुलों/सड़को का निर्माण तथा नदी के फ्लडप्लेन जोन में अवैध रूप से कालोनियों का विकास या फैक्ट्रियों का निर्माण हो जाने के कारण नदियों का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होता है।

प्रायः यह देखने में आता है, कि लोक निर्माण विभाग/एन0एच0ए0आई0 अथवा अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से तकनीकी परामर्श लिये बिना ही पुलों का निर्माण किया जाता है जिससे कई बार पुल की चौड़ाई एवं उंचाई उस स्थल के डिजाइन डिस्चार्ज को पास करने में पर्याप्त नहीं होती है एवं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–5298/06–2–सिं0–5, दिनांक–02 फरवरी, 2007 द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया है कि **"सड़क/ड्रेन/चैकडैम/निजी नलकूप की नालियों के निर्माण से पूर्व सिंचाई विभाग से सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। इसका परिकल्पन एवं स्थल की सहमति के संदर्भ में पूर्व तकनीकी परामर्श सिंचाई विभाग से प्राप्त कर ली जाये।"**

अतः समस्त कार्यदायी संस्थाओं को नियमानुसार नदियों/नालों पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कराने से पूर्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से तकनीकी परामर्श एवं जिला/राज्य गंगा समिति से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 के **Clause 26-C** के अनुसार "**The Authority or an officers authorized by it in this behalf may, without notice cause to be removed any wall, fence, rail, post. Step, both or other structure whether fixed or movable and whether of a permanent or temporary nature or any fixture which shall be erected, or set in or upon or over any street or upon or over any open channel, drain. Well or tank contrary to the provisions of this Act**."

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियमों और ई0आई0ए0 की अधिसूचना, 2006 और संशोधनों के अनुसार, **Environmental Clearance is required before developing any colony, road, highways, and settlements near the buffer zone of any river, streams or a natural drain**. वर्तमान में कई बस्तियाँ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं अन्य आवश्यक नियमों/शर्तों के अधीन निर्मित नहीं की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–29भा0स0 /76–2–2022/05एन0जी0/2022टी0सी0 दिनांक 05.04.2022 द्वारा जिला गंगा समितियों के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये हैं–

- समिति के द्वारा जनपद स्थर पर छोटी व सहायक नदियों का चिन्हीकरण, मैपिंग व पुनरोद्धार तथा कायाकल्प की रणनीति तैयार कराना एवं अनुश्रवण करना।
- समिति के द्वारा छोटी व सहायक नदियों की 02 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित शासकीय भूमि/नदी क्षेत्र का चिन्हिकरण कराना तथा अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 2008 में बाढ़ को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण "गैर–संरचनात्मक उपाय" के रूप में फ्लड ज़ोनिंग के लिए राज्यों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं ''**that areas likely to be affected by floods in a frequency of 10 years should be reserved for green areas like parks, gardens and others while concrete structures should not be allowed there. It also talked about other zones in the floodplain like in areas of flooding in a 25 year frequency and asked states to make plans accordingly in those areas.** ''

इस सम्बन्ध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिनांक 23.11.2022 के पैरा 8 व 9 के अनुसार (एम.ए. संख्या 23/2022 और एम.ए. संख्या 19/2021 मूल आवेदन संख्या 303/2020 एसएन में), "In terms of order of this Tribunal dated 25.07.2022, **illegal construction was to be removed by the Ganga Committee in terms of para 6 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) authorities order, 2016 which has not been done**. Only action taken in under UP Development Act which is different from action directed by the Tribunal." "Thus, for protection of environment and consistent with the earlier orders, we have to reiterate our earlier direction for **demolition of illegal construction as per Ganga order, issued under the Environment (Protection) Act, 1986**..... Similar action may be taken against any other illegal structure in the flood plain areas."

(कार्यवाही : मण्डलीय गंगा समिति/जिला गंगा समिति/
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, समस्त कार्यदायी संस्था)

3. नदियों को मानव जनित अपशिष्टों के बिना पूर्णता में बहने का अधिकार–

शहरों का विकास नदियों के किनारे हुआ है। शहरीकरण के साथ–साथ औद्योगीकरण भी तेजी से हो रहा है। शहरों का समस्त मानव जनित एवं औद्योगिक अपशिष्ट नदियों तथा उनकी सहायक नदियों (जिनको इस समय सामान्यतः नाला कहा जाता है, जबकि वे सभी नदियों की प्राकृतिक इकाईयॉ हैं) में डाला जाता है। इसलिए लगभग समस्त नदियॉ आचमन करने युक्त नहीं रह गयी है और नदियॉ अत्यधिक प्रदूषित हो गयी है।

नदियों के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के एस.ओ. 3187(ई) धारा 6(1) के अनुसार व्यवस्था

दी गयी है– ''**कोई व्यक्ति गंगा नदी अथवा उसकी उप–नदियों अथवा इसके तटों पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशोधित अथवा शोधित सीवेज अथवा सीवेज कीचड़ नहीं डालेगा।**'' तथा 6(2) के अनुसार ''**कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी अथवा इसकी उप–नदियों अथवा इनके तटों पर अशोधित अथवा शोधित व्यावसायिक बहिस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट नहीं छोड़ेगा।**''

(कार्यवाही : राज्य/जिला गंगा समिति/नगर विकास विभाग/
ग्राम्य विकास विभाग/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4. नदियों को अपनी पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को बनाये रखने का अधिकार–

किसी नदी का पारिस्थितिकी तंत्र वह समग्र क्षेत्र होता है, जिसमें उसके अपने प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित समस्त जैविक (बायोटिक) घटकों जैसे नदी के किनारों के जंगल, पौधे, जलीय जीवों एवं सूक्ष्म जीवों और सभी अजैविक (एबायोटिक) घटकों के बीच समस्त जैविक, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं सम्पादित होती हैं।

शहरी, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों से मीठे पानी के संरचनात्मक नियंत्रण और लगातार बढ़ती माँगों के मद्देनजर नदी पारिस्थितिकी क्षेत्र प्रभावित हो गया है।

भारत का राजपत्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के एस.ओ. 3187(ई) धारा 5 के अनुसार–

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि ''**गंगा नदी में प्राकृतिक मौसमी विविधता में परिवर्तन किये बिना नदी में प्रवाह बनाए रखा जायेगा**'' गंगा नदी में हर समय जल का अबाधित प्रवाह बनाए रखा जाए।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार भी गंगा नदी में इसकी पारिस्थितिकी समग्रता (इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी) को बनाए रखने के लिए विभिन्न मौसम में जल का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने के प्रयास करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरण समयबद्ध ढंग से उचित कार्यवाही करेंगे।

भारत का राजपत्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की धारा 41 के अन्तर्गत नदी की परिस्थितिकी को पुनः बहाल करने एवं नदी गंगा बेसिन राज्यों के प्रबन्धन से संगत उपायों को करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को निर्देशित करने का अधिकार ''**राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन**'' की शक्तियों में निहित है।

अपर आयुक्त मनरेगा, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्रांकः मनरेगा/पत्रा0सं0–530/1248/2022 दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से विलुप्तप्राय नदियों के पुनरोद्धार के अन्तर्गत विलुप्तप्राय नदी के दोनों किनारों पर 1 किमी0 दायरें में वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, नालों का पुनरोद्धार, जल संचयन एवं संरक्षण संबंधी कार्य कराये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देश भारत का राजपत्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की धारा 3(यू) एवं 3(जेड.ई.) के अनुसार गंगा नदी की समस्त उप–नदियों अथवा धाराओं से है जो गंगा नदी में प्रवाहित होती है।

(कार्यवाही : राज्य / जिला गंगा समिति, ग्राम्य विकास विभाग)

5. <u>नदियों को अपनी छोटी, सहायक नदियों तथा जल धाराओं के साथ (स्ट्रीम कनेक्टिविटी) जुडे रहने का अधिकार–</u>

नदियॉ अपनी क्रमिक फर्स्ट आर्डर स्ट्रीम (प्रथम जलधारा) से शुरू होकर उत्तरवर्ती आर्डर स्ट्रीम होकर प्रमुख जलधारा / मुख्य नदी में परिवर्तित हो जाती है। शहरीकरण एवं औद्योगीकरण होने के कारण नदियों की प्रारम्भिक श्रृंखला को बाधित कर दिया जाता है, जिससे स्ट्रीम कनेक्टिविटी प्रभावित होती है तथा वर्षाकाल में जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

नदियों के पुनरोद्धार हेतु नदियों को अपनी छोटी सहायक नदियॉ एवं जल धाराओं के साथ स्ट्रीम कनेक्टिविटी सर्वदा आवश्यक है जिससे नदियों में पर्याप्त जल की निरन्तरता एवं अविरलता बनी रहे।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–29 भा0स0 / 76–2–2022 / 05एन0जी0 / 2020 टी0सी0 दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से उ0प्र0 की 50 छोटी एवं सहायक नदियों को मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनरोद्धार एवं कायाकल्प एस0एम0सी0जी0 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित ''जिला गंगा समिति'' के माध्यम से कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही : राज्य / जिला गंगा समिति, ग्राम्य विकास विभाग)

6. <u>नदियों के कैचमेन्ट एरिया में वाटर बॉडीस (झील / तालाब / अन्य प्राकृतिक जलस्रोत) को उनके स्वाभाविक स्वरूप में रहने का अधिकार–</u>

प्रकृति में नदियों के क्रमिक विकास के साथ–साथ नदियों के कैचमेन्ट में नदियों द्वारा ही वाटर बॉडीस अस्तित्व में आये थे। समय के साथ–साथ नदियों एवं उसके जल क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सतह पर सड़को, राजमार्गों, आवासीय कालोनियॉ के विकसित होने के कारण खत्म हो गयी किन्तु उप–सतह (सब सर्फेस लेवल) पर भूजल के माध्यम से नदी से कनेक्टिविटी बनी रही। सतह पर नदी एवं तालाब विखण्डित होते गए तथा तालाबों में निरन्तर अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण एवं उनके भू–उपयोग में परिवर्तन होने पर वेटलैण्ड के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया है। पिछले 5 दशकों में वेटलैण्ड के जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत की अपूर्णीय क्षति की कमी इंगित हुयी है।

नदियों के कैचमेन्ट एरिया में वाटर बॉडीस (झील / तालाब / अन्य प्राकृतिक जलस्रोत) पर हुये अतिक्रमण, आदि को समाप्त कर उनके प्राकृतिक स्वरूप में पुर्नस्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना होगा।

(कार्यवाही : जिला गंगा समिति/जिला पर्यावरण समिति/जिला एवं राज्य वेटलैण्ड आर्थारिटी)

7. <u>भूगर्भ जल को बनाये रखने का अधिकार–</u>

शहरीकरण होने के कारण सबसे ज्यादा भूगर्भ जल का दोहन हुआ है। मानव सभ्यता के लिए भूगर्भ जल का स्तर बनाये रखना आवश्यक है। यह भूगर्भ जल शुष्क मौसम में नदियों/तालाबों के जलस्तर की निरन्तरता को बनाये रखता है। अधिकांश नदियॉ जिनका उद्‌गम स्थल बर्फ से ढके पहाड़ नहीं हैं, वे वर्षाजल पर आधारित हैं एवं उनका बेस फ्लो भूगर्भ जल/आर्टीजन वेल पर निर्भर करता है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण बेस फ्लो में अत्यधिक कमी आयी है, जिससे आर्टीजन वेल का अस्तित्व खत्म हो गया।

नदियों के कैचमेन्ट एरिया में आने वाली समस्त प्राकृतिक वाटर बॉडीज/जलस्रोत को पुर्नजीवित करना होगा जिससे वर्षा ऋतु में इन वाटर बॉडीज से भूगर्भ जलस्तर रिचार्ज हो सके तथा गैर मानसून अवधि में भूगर्भ जल से आर्टीजन वैल के सक्रिय होने से नदियों में न्यूनतम जल प्रवाह बना रहे।

(कार्यवाही : जिला गंगा समिति/जिला पर्यावरण समिति/भूगर्भ जल विभाग)

8. <u>नदी व इसके कैचमेन्ट एरिया की जल धाराओं, जलस्रोत व भूगर्भ जल को नदी का अभिन्न अंग (परिवार) मानने का अधिकार–</u>

प्रायः नदी व इसके कैचमेन्ट एरिया की जल धाराओं, जलस्रोतो व भूगर्भ जल को अलग–अलग इकाई के रूप में परिभाषित किया जा रहा है जबकि यह सभी नदी के अभिन्न अविभाज्य तथा नदी परिवार के सदस्य हैं। नदी के पुर्नजीवन के लिए नदी, इसके कैचमेन्ट एरिया की जल धाराओं, इसके स्रोतों एवं भूगर्भ जल को एक समेकित इकाई/योजना के रूप में कार्य करना होगा एवं सभी इकाईयों का पुनरोद्धार करना होगा तभी नदियों का पुर्नजीवन एवं अस्तित्व सम्भव है।

(कार्यवाही : जिला गंगा समिति/जिला पर्यावरण समिति/भूगर्भ जल विभाग/जिला वेटलैण्ड आथारिटी)

4 दैनिक जागरण लखनऊ, 17 सितंबर, 2023 — बाराबंकी जागरण — www.jagran.com

मैंने घर खाली कराए, आप मेरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराइए

राजपूताना मुहल्ले में पानी उतरने के बाद सामान की सफाई करता युवक • जागरण

दशहराबाग के देवपुरम मुहल्ले के एक घर के बेसमेंट में भरा पानी • जागरण

प्रेम अवस्थी • बाराबंकी

मैं जमुरिया नदी, आज फिर आपसे मुखातिब हूं। इस बार अपनी पीड़ा बताने नहीं बल्कि आप सबको आपकी जिम्मेदारियों का अहसास कराने के लिए आई हूं। इस बार यदि आप चूके तो मेरा दोष न देना, क्योंकि 11 सितंबर को हुई बारिश के बाद आपने मेरा जो रूप देखा उसकी पुनरावृत्ति बार-बार होगी। मैंने अपने प्राकृतिक स्वरूप को दिखाकर उन सभी लोगों को घर खाली करने के लिए विवश कर दिया जो मेरी कोख में बने हैं। अब उन जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइये। मेरी जमीन खाली कराइये।

कम से कम मेरी धारा के बीच से दोनों ओर 25-25 फिट या 14 मीटर की परिधि खाली कराना जरूरी है। यह लोग मेरे पानी की राह में रोड़ा की तरह खड़े होते हैं। तो मेरा पानी निर्दोष लोगों के घरों तक फैलता है। इस बार मेरे पानी से आई बाढ़ में राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ तक बुलानी पड़ी।

खासकर सरकारी विभाग के विनियमित क्षेत्र कार्यालय से कहना चाहूंगी कि उच्च न्यायालय ने एक साल पहले आपको आदेशित किया था कि मेरी कोख व हरित पट्टी का अतिक्रमण हटाया जाए। आपने पांच सौ से ज्यादा लोगों को नोटिसें जारी की और भूल गए, लेकिन वक्त सभी का आता है, मेरा भी आया 11 सितंबर को। जिस पानी से मेरा वजूद है उसने मेरा खुलकर साथ दिया। मेरी हद लोगों को बता दी। मैं नदी हूं यह अहसास भी करा दिया। वरना जिस तरह लोगों ने मेरी कोख में पिलर गाड़े थे, उससे तो कभी-कभी मैं भी अपने वजूद को लेकर भ्रम में पड़ जाती थी। दैनिक जागरण के 25 मई 2023 के अंक में मैंने अपनी पीड़ा 'मैं जमुरिया नदी हूं, पर नई पीढ़ी मुझे गंदा नाला समझती है।' शीर्षक से बताई थी। इसमें यह भी बताया था कि मेरा दायरा 27 किलो मीटर है। इसमें से 10 किलो मीटर शहर नगरीय क्षेत्र में हूं। तहसील नवाबगंज के रसूलपुर किदवई गांव के एक तालाब से चलकर कई गांवों से होते हुए शहर नवाबगंज होकर जगनेहटा में रेठ नदी में समाहित होती हूं।

शहर में नई बस्ती पीरबटावन, कमरियाबाग, दुर्गापुरी, मोहसिनाना, नेहरू नगर, सिविल लाइन, लखपेड़ाबाग, आवास विकास कालोनी के मध्य मुझमें अतिक्रमण किया गया। मुझमें आई बाढ़ के समय सभी ने देखा होगा कि मेरी मुख्य धारा के बीच कौन सी इमारतें खड़ी थी। यह तस्वीरें शासन तक पहुंची। जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद भी आए। जागरण प्रतिनिधि ने उनसे भी मेरे अतिक्रमण को लेकर सवाल किया।

25 मई 2023 के अंक में प्रकाशित समाचार

• जमुरिया की कोख में किए गए अतिक्रमण का मामला
• दोबारा आएंगे तो अतिक्रमणकारियों के साथ अन्य को भी होगी परेशानी

पल्हरी के निकट ककरहिया जाने वाले मार्ग पर भरा पानी • जागरण

जमुरिया की जमीन व उसके किनारे ग्रीन बेल्ट में भवन बनाने के कारण ही पानी की निकासी में दिक्कत हुई। अतिक्रमणकारियों को नोटिसें जारी की गई थीं। अब शीघ्र कार्रवाई भी होगी।
–विजय कुमार त्रिवेदी, एसडीएम/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र

महायोजना के मानचित्र का अनुपालन कराया जाए

मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगी। वर्ष 2001 में नगर की महायोजना का मानचित्र बना था। तब भी मेरी कोख काफी हद तक खाली थी। लेकिन मानचित्र के विपरीत बनाए गए भवनों ने मेरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। लोग घर बनाते गए। विनियमित क्षेत्र कार्यालय नोटिस जारी कर भूलता रहा। हद तो यह कि कुछ विद्यालय भी मेरी हरित पट्टी में बना दिए गए, जहां बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जाती है। मेरा पानी इन विद्यालयों में भी पहुंचा तो आज वहीं बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं।

रातभर की मशक्कत के बाद बैठने से बचा कुर्सी पावरग्रिड

प्रेम अवस्थी • बाराबंकी

पावरग्रिड बैठता तो उत्तर भारत के कई जिलों में बिजली होती प्रभावित, रेठ नदी को पक्के नाले में तब्दील किए जाने से हुई समस्या

तहसील फतेहपुर के कुर्सी औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित पावरग्रिड में भी बारिश का पानी भर गया। पावरग्रिड बैठने न पाए, इसके लिए मंगलवार रात मशक्कत की गई। जल निकासी के लिए जेसीबी से कई स्थानों पर रास्ता बनाया गया। बाउंड्रीवाल भी तोड़ी गई। यह स्थिति 12 साल बाद बनी है। इससे पहले वर्ष 2008 में भी पावरग्रिड में पानी भर गया था, क्योंकि उसी साल औद्योगिक क्षेत्र में रेठ नदी को पक्के नाले में तब्दील कर दिया गया। रेठ को नाला बनाकर जमीन पर किए गए अतिक्रमण के कारण जब अधिक बारिश होती है तो जलभराव पावरग्रिड के साथ ही आसपास के कई गावों में होता है।

मंगलवार रात को पावरग्रिड में पानी भरने की सूचना पाकर एसडीएम फतेहपुर पवन कुमार के साथ अधिशापी अभियंता बाढ़ कार्य खंड शशिकांत सिंह व सीतापुर के अधिशापी अभियंता भी मौके पर आए। एसडीएम ने बताया कि पावरग्रिड के निकट का क्षेत्र सिंचाई एवं बाढ़ कार्य खंड सीतापुर क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां के अधिकारी भी बुलाए गए थे। पावरग्रिड की बाउंड्री में दो-तीन स्थानों पर छेद कर पानी का रास्ता बनाया गया। जहां भी अवरोध था, उसे दूर किया गया।

नदी को पक्का नाला बनाने का मामला : रेठ नदी को पक्का कराने की योजना यूपीएसआइडीसी (उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन) के तत्कालीन मुख्य अभियंता रहे अरुण कुमार मिश्र ने करीब सात करोड़ की लागत से तैयार कराई थी। आइआइटी कानपुर से रेठ नदी को पक्का कराने का नक्शा तैयार कराया गया था। बिना स्थलीय निरीक्षण किए सीतापुर प्रखंड शारदा नहर के तत्कालीन अधिशापी अभियंता वीके जैन ने अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य खंड सीतापुर के दिनांक 13 सितंबर 2007 को जारी पत्र का संज्ञान लेकर 15 सितंबर 2007 को रेठ नदी को पक्का करने की अनुमति कुछ शर्तों पर दी।

इन शर्तों में यह बात स्पष्ट रूप से शामिल रही कि पानी का बहाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रतिवर्ष सफाई कराई जाए। आंशिक रूप से ढका जाए ताकि श्रमिकों व मशीनों से सफाई में दिक्कत न हो। यह भी कहा गया कि यदि नदी में वर्षाकाल में पानी के बहाव में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसका पूर्ण उत्तर दायित्व यूपीएसआइडीसी का होगा, लेकिन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। करीब 1670 मीटर नदी को पक्के नाले में तब्दील कर ऊपर से पूरी तरह ढक दिया गया।

औद्योगिक क्षेत्र के निकट पावरग्रिड में पानी निकालने के लिए खोदी गई नाली • जागरण

> रेठ नदी को पक्का कराए जाने से पानी की निकासी न होने जैसी समस्या के निदान के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है। शीघ्र ही समस्या का निदान कराया जाएगा ताकि पावरग्रिड में पानी भरने जैसी स्थिति न बने।
>
> अरुण कुमार सिंह, एडीएम बाराबंकी

डिजाइन वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं

वर्ष 2009 में तत्कालीन डीएम की ओर से गठित जांच समिति ने माना था कि आइआइटी कानपुर से नदी का जो चैनल डिजाइन बनाया गया, वह नदी की वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं था। विवरण के अभाव में मात्र 5.2 वर्ग किमी के आधार पर चैनल डिजाइन किया गया, जबकि उद्गम स्थल से कुर्सी रोड तक नदी की परिधि 140 वर्ग किमी है। इसी कारण वर्ष 2008 में अत्यधिक बारिश के कारण न सिर्फ आसपास के गांवों में बल्कि पावरग्रिड कुर्सी में भी पानी भर गया था। जांच के बाद तत्कालीन डीएम विकास गोठलवाल के आदेश पर 30 नवंबर 2011 को नदी के बगल स्थित कालेज की भूमि की पैमाइश की गई थी। टीम ने जांच आख्या में कहा था कि रेठ की भूमि पर कब्जा किया गया है। दोनों किनारों पर दीवार खड़ी कर नाला बना दिया गया है।

26.0° न्यूनतम | सूर्य अस्त (आज) 06:15 उदय (कल) 05:45 | आर्द्रता 89% 72% अधिकतम न्यूनतम

बाराबंकी जागरण

...तो अब समझ में आया, मैं नाला नहीं जमुरिया नदी हूं

प्रेम अवस्थी • बाराबंकी

मैं जमुरिया नाला नहीं, नदी हूं। शायद यह बात नई पीढ़ी को भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि नई पीढ़ी ने मेरा यह विकराल स्वरूप पहले नहीं देखा था। अब उसे भी बताने की जरूरत नहीं होगी। तीन माह पहले इसी दैनिक जागरण के जरिए मैंने अपनी पीड़ा बयां की थी, उस पीड़ा में अपना दर्द कम और आपकी समस्या ज्यादा थी। मैं जानती थी कि जब कभी अत्यधिक बारिश होगी तो मेरा पानी फैलेगा।

आपके उन घरों में घुसेगा जो मेरी कोख में बने हैं। प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने आपको मेरी कोख में आशियाना बनाने से नहीं रोका, वह भी मेरे तट पर खड़े होकर मेरी स्थिति देख रहे थे। पीएसी, पुलिस व आपदा मोचन दल के लोग मेरी हरित पट्टी में बने घरों में फंसे लोगों को स्टीमर से निकालते दिखे। वर्ष 1984 में इसी तरह मुझमें बाढ़ आई थी, लेकिन तब तक मेरी कोख खाली थी, इसलिए इतनी समस्या लोगों ने महसूस नहीं की थी। वर्ष 2019 में भी मेरा पानी हरित पट्टी वाले घरों में भरा था, लेकिन तब इतना विकराल मेरा स्वरूप नहीं था। इस बार पानी का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है कि लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर पटेल तिराहे के निकट बने पुल से भी नहीं निकल पा रहा है।

कमरियाबाग के निकट जमुरिया किनारे बने घरों में भरा पानी • जागरण

पुल के नीचे कचरा भरा होने से मेरा पानी पटेल तिराहे पर बह रहा है। पुलिस ने आवागमन रोका है। आवास विकास कालोनी व लखपेड़ाबाग मुहल्ले को जोड़ने वाले पुल से भी आवागमन रोका गया है। फैजुल्लागंज रेलवे पुल से शहर शुरू होता है। रेलवे लाइन से यंग स्ट्रीम कालेज के निकट पुल तक दोनों ओर नई बस्ती पानी से भरी है। पानी नागेश्वर नाथ मार्ग व पीरबटावन पूर्वी वार्ड के घरों के अंदर तक बह रहा है। मैं कहती हूं कि अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अपनी समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराइये। मेरे प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करने में प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करिए। महंत बीपी दास बाबा ने मेरे प्राकृतिक स्वरूप को बहाल कराए जाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका की थी, जिस पर पिछले वर्ष निर्णय आया था। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से नोटिस जारी की गई, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ।

आज आप लोग परेशान हो रहे हो, आपकी पत्नी व बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर यहां घर क्यों बनाया? तब आपको अपनी गलती का अहसास जरूर हो रहा होगा। परिवार के लिए ही आप लोग कमाते व घर बनाते हो।

परिवार की सलामती व खुशी के लिए आप लोग अब भी न सुधरे तो समस्या इससे भी ज्यादा आएगी। कष्ट तो यह है कि आप लोगों के साथ अन्य लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए फिर अनुरोध करती हूं कि मेरी कोख को खाली कर आप अपने साथ अन्य लोगों की भी समस्या का निवारण बनिए।

जनता लाचार, अनियोजित बसावट के लिए प्रशासन जिम्मेदार

नवाबगंज में अवैध प्लाटिंग और बसावट को बढ़ावा देने में नेताओं व अधिकारियों की रही साठगांठ

मुद्दा

प्रेम अवस्थी • बाराबंकी

मैं शहर नवाबगंज हूं। नवाबी शहर लखनऊ से सटा हूं। इसलिए नवाबियत की झलक मुझमें भी कभी थी, लेकिन पिछले दो दशक में मेरी नवाबी को नेताओं व अधिकारियों के गठजोड़ ने बर्बाद कर दिया, जिसका नतीजा पिछले सप्ताह आप सबने जलभराव के रूप में देखा। आज आपको बताता हूं कि किस तरह जनता लाचार है और इस अनियोजित बसावट के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है।

वर्ष 2001 में नगर की महायोजना बनी। इसमें ग्रीनबेल्ट, नदी, तालाब व पार्किंग स्थलों को छोड़ा गया। विनियमित क्षेत्र कार्यालय तहसील नवाबगंज में है। यहां के एसडीएम ही नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र होते हैं। अवैध प्लाटिंग को रोकने व महायोजना के अनुसार ही शहर में नियोजित आवासीय कालोनियों को बसाने की जिम्मेदारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय पर रही। कार्यालय में एक जेई दो बाबू ही रहते थे, पिछले कुछ सालों से एई की तैनाती हुई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अवैध प्लाटिंग करने वाले ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता व उनके समर्थक रहे हैं।

इसका प्रमाण भी कई बार देखने को मिला है। वर्ष 2005 से 2015 के मध्य अवैध प्लाटिंग की होड़ रही, जो अब तक जारी है। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे रहे, जिनके परिवारजन का काम ही अवैध प्लाटिंग करना रहा है। विनियमित क्षेत्र कार्यालय बड़ी ईमानदारी से नोटिस काटकर फाइलिंग करता रहा। प्लाट बिकने के बाद जिम्मेदारी खरीदने वाली की हो जाती है। चार-छह घर बनते ही नेता जनहित का हवाला देकर अवैध प्लाटिंग स्थल पर खड़ंजा व इंटरलाकिंग भी लगवाते रहे। इससे अवैध प्लाटिंग के वैधता का प्रमाण पत्र मिलता गया।

आवास विकास में जमुरिया किनारे बने पक्के मकान और विकास भवन के निकट अवैध प्लाटिंग में बसा लच्छू नगर • जागरण

एसडीएम सदर की कुर्सी पर तैनाती भी उसी की होती रही है, जो इस अवैध प्लाटिंग की ओर से मुंह मोड़ लेता था। इसमें से कुछ ऐसे अधिकारी व कर्मचारी भी सामने आए, जिन्होंने अवैध प्लाटिंग में स्वयं के परिवारजन को भी शामिल कर लिया। एक तहसीलदार के परिवारजन के नाम से अवैध प्लाटिंग सफेदाबाद के निकट तालाब की जमीन पर भी पाई गई थी। लखनऊ में भी उनके विरुद्ध इसी चक्कर में कार्रवाई भी हुई। एक एसडीएम के आधा दर्जन रिश्तेदारों के प्लाट नगर के ओबरी में रेठ नदी के किनारे औद्योगिक भूमि पर हुई अवैध प्लाटिंग में पाए गए थे। बिना मानचित्र पूरी कालोनी बसी है।

पैसार क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के परिवारजन के नाम से अवैध प्लाटिंग में कालोनी बसी है। लखनऊ-अयोध्या बाईपास सफेदाबाद से रसौली तक बना है। इसके किनारे धरसनिया, असेनी, दारापुर, आलापुर, बड़ेल, सहेलिया, दरामनगर, शुक्लाई व रसौली तक कई नेताओं व अधिकारियों की जमीनें अवैध प्लाटिंग में हैं। अवैध प्लाटिंग स्थलों के आसपास की सरकारी जमीन, तालाब, खलिहान व खेल मैदान के साथ ही श्मशान व कब्रिस्तान भी सुरक्षित नहीं बचे।

नगर की हजाराबाग वर्ष 2010 से 2013 के मध्य कटी। हजाराबाग को कटवाकर प्लाटिंग कराने वाला भी एक जनप्रतिनिधि था। उसके एक परिवारजन सहित चार लोगों ने बाग मालिक से सौदा किया था। वर्ष 2012 में सत्ता परिवर्तन के बाद सत्तादल से जुड़े लोगों ने जब बाग की बाकी बची जमीन पर कब्जा किया तो मामला सुर्खियों में आया था। यहां भी विनियमित क्षेत्र कार्यालय की ओर से नोटिस जारी गई, लेकिन बाग पूरी कटी, भवन भी बनते गए। कोई रोक नहीं सका। पानी की निकासी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है, इसके कारण पानी घरों के सामने भरा है। इसी तरह महुआरी बाग, कटहली बाग, लखपेड़ाबाग भी कट गई। आसपास के खेतों में घर बनते गए। पुराने शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था पहले से नहीं थी, यदि नवीन आवासीय कालोनियां मानचित्र के अनुसार बसाई जातीं तो उनमें सीवर लाइन हो सकती थी, पर खेतों को टुकड़ों में बांटकर की गई प्लाटिंग के बाद अनियोजित बसावट बढ़ती गई। अधिकारी बदलते गए। सब अपनी-अपनी नौकरी करके चले गए। ऐसा भी नहीं है कि इस मामले को दैनिक जागरण ने उठाया नहीं। जब जब समाचार प्रकाशित हुए, अधिकारी-कर्मचारी शीघ्र कार्रवाई की बात कहकर टालते गए। पिछले वर्ष जमुरिया नदी के किनारे अवैध रूप से भवनों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन उसमें भी नोटिस ही जारी हो सकी है।

अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

पिछले दो वर्ष में अवैध प्लाटिंग स्थलों पर बुलडोजर भी चला है, लेकिन जो घर बन गए, उनका क्या? मौजूदा समय विनियमित क्षेत्र कार्यालय ने करीब 90 अवैध प्लाटिंग के स्थान चिह्नित किए हैं। बारिश से पहले एक दर्जन स्थानों पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त भी कराई गई थी। मौजूदा एसडीएम सदर व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र विजय कुमार त्रिवेदी का कहना है कि वह अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराने की कार्रवाई कर रहे हैं।

ऊ, 23 सितंबर, 2023

बाराबंकी जागरण

बिना मानचित्र के दो सौ से ज्यादा भवन एक दिन में चिह्नित

जागरण प्रभाव

संवादसूत्र, बाराबंकी : बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पहले अवैध प्लाटिंग और फिर भवन निर्माण हो रहे हैं। दैनिक जागरण ने 20 सितंबर के अंक में 'जनता लाचार, अनियोजित बसावट के लिए प्रशासन जिम्मेदार' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसका संज्ञान लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है। शुक्रवार को एक दिन में 10 स्थानों पर जांच की गई। अवैध प्लाटिंग में बने दो सौ से अधिक मकानों को चिह्नित कर नोटिस जारी की गई है।

एसडीएम नवाबगंज व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र विजय कुमार त्रिवेदी ने मुताबिक, विनियमित क्षेत्र के जेई विपिन चंद्र वर्मा के साथ नायब तहसीलदार देवा व संबंधित लेखपाल ने शुक्रवार को बंकी क्षेत्र में साईं नगर, साईं सिटी, शिवा ग्रीन सिटी, जीतनगर, दक्षिण टोला, लखनऊ रोड पर मेयो हास्पिटल के सामने विनायक विहार कालोनी, बंसल प्लाटिंग, विकास भवन के आगे हनुमंत नगर, उज्वल नगर, कोठीडीह व सफेदाबाद की हिम सिटी में जांच की। ओबरी के निकट निर्माणाधीन होटल को भी देखा। सभी से मानचित्र स्वीकृति संबंधी अभिलेख मांगे गए, लेकिन मौके पर लोग अभिलेख नहीं दिखा सके। एसडीएम ने बताया कि सभी को नोटिस जारी की जा रही है। जिसका भी मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन स्थानों पर अवैध प्लाटिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

जनता लाचार, अनियोजित बसावट के लिए प्रशासन जिम्मेदार

नवाबगंज में अवैध प्लाटिंग और बसावट को बढ़ावा देने में नेताओं व अधिकारियों की रही साठगांठ

मुद्दा

सफेदाबाद स्थित हिमसिटी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों को देखने पहुंची टीम और 20 सितंबर के अंक में प्रकाशित समाचार • जागरण

- विनियमित क्षेत्र की परिधि में हो रहे निर्माण को रोकने को टीम सक्रिय
- अवैध प्लाटिंग स्थल पर बने हैं अधिकांश मकान

जमुरिया किनारे बने भवनों की फाइलें खंगाली जा रहीं

नगर में जमुरिया किनारे ग्रीन बेल्ट में बने भवनों की फाइलें खंगाली जाने लगी हैं। शीघ्र ही कार्रवाई शुरू होगी। एसडीएम ने बताया कि पहले ही लोगों को नोटिस जारी गई थीं, अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। फाइलों को निकाला गया है।

जेई को दी चेतावनी : एसडीएम ने विनियमित क्षेत्र के जेई को चेतावनी दी है कि यदि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन बनाए जाते हैं तो इसके लिए अब उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को छोड़कर सभी को मानचित्र स्वीकृत कराना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति मकान बनाए वह मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन जरूर करे। नगर में कुछ स्थानों पर एक हजार वर्ग फीट से कम में आवासीय भवन बनाने पर मानचित्र की जरूरत नहीं होगी। मानचित्र दाखिल करने पर जांच में यदि पाया जाएगा कि संबंधित स्थान पर मानचित्र स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं है तो उसे अनुमति दी जाएगी।

शहरीकरण होने पर नहरों को बचाने के आवश्यक उपायः–

नदियों का जल ही नहरों में प्रवाहित होता है। नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में उक्त जल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शहरीकरण के फलस्वरूप उस क्षेत्र में नहरों का कमाण्ड क्षेत्र कम हो जाता है जिससे धीरे–धीरे सिंचाई खत्म हो जाती है और नहरें निष्प्रयोज्य की श्रेणी में आ जाती है।

नदियों की तरह नहरें भी जीवनदायिनी हैं। नहरें सिंचाई के अतिरिक्त ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज में मुख्य रूप से सहायक हैं। जिन ब्लाकों में नहरों की अधिकता है वे ब्लाक कभी ग्रे/डार्क श्रेणी में नहीं आये हैं। शहरीकरण के कारण नहरें निष्प्रयोज्य हो जाती हैं तथा उक्त क्षेत्र के ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज में भी कमी आने लगती है। यह कमी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

नहरों में सामान्यतः दो पुलों के बीच की दूरी एक किमी0 से कम नहीं रखी जाती है ताकि नहरों के जल–प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा सिल्ट सफाई में भी बाधा उत्पन्न न हो। शहरीकरण होने के कारण नहरों में समय–समय पर कम दूरी पर पुलिया बनाने की मांग की जाती है जो कि नहरों के संचालन के दृष्टिगत उचित प्रतीत नहीं होती है।

शहरीकरण के कारण सामान्यतः शहर के बाहरी क्षेत्र में काश्तकारों से नहरों के आस–पास कम मूल्य पर जमीन क्रय कर टाउन प्लानिंग/आवासीय कालोनी/उद्योग लगाने की योजना बनाई जाती है तथा नहरों की पटरियों को विलेज रोड अथवा जिला मार्ग की तरह प्रयोग किया जाता है।

शहरीकरण होने अथवा आवासीय कालोनी अथवा उद्योग लगने के पश्चात मानवजनित/औद्योगिक जनित अवशिष्टों को नहरों में डाल दिया जाता है जिससे नहरें प्रदूषित हो जाती है तथा ड्रेनों का स्वरूप ले लेती हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि नहरों में बफर जोन बनाया जाय जिससे शहरीकरण होने के बाद भी नहरें निष्प्रयोज्य न होने पाये तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज होता रहे।

जैसे राजस्थान में इन्दिरा कैनाल के दोनों किनारों से 500–500 मीटर तक वृक्षारोपण किया गया है जिससे वर्तमान में इन्दिरा कैनाल के दोनों किनारों पर एक जंगल सा विकसित हो गया है, परिणामस्वरूप राजस्थान के पर्यावरण में व्यापक सुधार हुआ है।

प्रदेश में भी मुख्य/शाखा नहरों के दोनों किनारों से 500–500 मीटर तक तथा रजवहों एवं अल्पिकाओं में 200–200 मीटर वृक्षारोपण अथवा लोगों को फलों के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय जिससे प्रदेश में ग्रीन कवर विकसित होगा। साथ ही साथ फलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी एवं नहरें भी निष्प्रयोज्य की श्रेणी में नहीं आयेगी तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज होता रहेगा।